General-17-18\69

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश

विकास नगर, कानपुर–208002

Visit us: http:// dte.up.nic.in

Phone No. : 2582084
Fax No. : 2580965
E-mail : directordteup@gmail.com

ई–मेल

प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0,
कानपुर।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थायें,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– 31296-441/उ0नि0–कैम्प/एआईसीटीई/2017–18, कानपुरःदिनांकः 9-11-17

विषय– प्रदेश के डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय नये प्राविधिक संस्थानों/पाठ्यक्रमों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान तैयार किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या– 1736/सोलह–3–2017–15(207)/2017 दिनांक 08.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय नये प्राविधिक संस्थानों की स्थापना/नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की आवश्यकता के दृष्टिगत ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान तैयार किये जाने की सूचना दी गई है। इस हेतु ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान के सम्बन्धित बिन्दुओं को संलग्न करते हुए विभिन्न संस्थाओं/संगठनों/हितधारकों की आपत्तियाँ/सुझाव की दिनांक 20.11.2017 तक अपेक्षा की गई है।

उक्त सन्दर्भ में अनुरोध है कि ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान के संलग्न बिन्दुओं को अपनी संस्था की वेबसाइट के होमपेज पर अपलोड कर प्रचार–प्रसार करें एवं अपने बहुमूल्य सुझाव/आपत्तियां दिनांक 15.11.2017 तक क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को उपलब्ध करा दें, ताकि संयुक्त निदेशक संकलित सुझाव/आपत्तियाँ अपने सुझाव/आपत्तियों सहित दिनांक 17.11.2017 तक निदेशालय को उपलब्ध करा सकें, और समयान्तर्गत निदेशालय द्वारा शासन को उपलब्ध कराई जा सके।

कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है, अतः कार्य को गम्भीरता के साथ शीर्षप्राथमिकता के आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(कफील अहमद)
निदेशक।

पृ0 संख्या–31442-47 /उ0नि0–कैम्प/एआईसीटीई/2017–18, कानपुरःदिनांकः 09-11-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, विधान भवन, लखनऊ।
2. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश को शासन के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान के संलग्न बिन्दुओं को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर अपलोड कर प्रचार–प्रसार करें एवं क्षेत्रान्तर्गत आने वाली संस्थाओं के प्रधानाचार्यों से सुझाव/आपत्तियां प्राप्त कर अपने सुझाव/आपत्तियों सहित

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर–208002
Visit us: http:// dte.up.nic.in

Phone No. : 2582084
Fax No. : 2580965
E-mail : directordteup@gmail.com

निदेशालय को दिनांक 17.11.2017 तक ई–मेल के माध्यम से आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दें।

4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासन के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान के संलग्न बिन्दुओं को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर अपलोड कर प्रचार–प्रसार करें एवं निजी क्षेत्रान्तर्गत आने वाली संस्थाओं/संगठनों/ हितधारकों से ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान पर सुझाव/आपत्तियां प्राप्त कर अपने सुझाव/आपत्तियों सहित सीधे शासन को एवं एक प्रति ई–मेल के माध्यम से निदेशालय को समयान्तर्गत प्रेषित करें।
5. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासन के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान के संलग्न बिन्दुओं को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर अपलोड कर प्रचार–प्रसार करें एवं सुझाव/आपत्तियाँ सीधे शासन को एवं एक प्रति ई–मेल के माध्यम से निदेशालय को समयान्तर्गत प्रेषित करें।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, कानपुर को शासन के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित।
7. श्री के0एन0 सोनकर, प्रशासनिक अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, कानपुर।
8. श्री सौरभ माथुर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को को शासन के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित इस निर्देश के साथ कि निदेशालय की वेबसाइट के होमपेज पर ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान के बिन्दुओं को अपलोड करें एवं इस सम्बन्ध विभिन्न कार्यालयों/संगठनों/हितधारकों से प्राप्त सुझाव/आपत्तियां उसी दिन श्री के0एन0 सोनकर, प्रशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करायें।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार</u>

(कफील अहमद)
निदेशक।

समयबद्ध/ ई-मेल

संख्या- 1736/सोलह-3-2017-15(207)/2017

प्रेषक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
2. कुल सचिव, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर।
3. कुल सचिव, मदन मोहन मालवीय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
4. निदेशक, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
5. निदेशक, बुन्देलखण्ड अभि0 एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झांसी।
6. निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
7. निदेशक, राज0इंजी0कालेज, बांदा/बिजनौर/आजमगढ़/ अम्बेडकरनगर/ मैनपुरी/ सोनभद्र/ कन्नौज।
8. निदेशक,प्राविधिक शिक्षा/ आई0आर0डी0टी0 उत्तर प्रदेश, कानपुर।
9. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद/संयुक्त प्रवेश परिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 08 नवम्बर, 2017

विषयः- प्रदेश के डिग्री/ डिप्लोमा स्तरीय नए प्राविधिक संस्थानों/ पाठ्यक्रमों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान तैयार किया जाना।

महोदय,

प्रदेश में डिग्री/ डिप्लोमा स्तरीय नये प्राविधिक संस्थानों की स्थापना/नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन की आवश्यकता के दृष्टिगत ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान के संलग्न बिन्दुओं पर विभिन्न संस्थाओं/ संगठनों/ हितधारकों की आपत्तियों/ सुझाव अपेक्षित हैं।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान के संलग्न बिन्दुओं को विभिन्न संस्थाओं/ संगठनों/ हितधारकों को भेजने, अपनी वेब साइट के होमपेज पर अपलोड करने तथा प्रचार- प्रसार के माध्यम से आपत्तियों/सुझाव राज्य सरकार को अतिम तिथि 20.11.2017 तक प्राप्त कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(सुरजन)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, बसंत कुंज, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कानपुर।
3. फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002 ।
4. फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, 204 आरिफ आशियान काम्पलेक्स, चौक, लखनऊ।

noc lt

5. संयुक्त निदेशक,(पूर्वी/पश्चिमी/ मध्य/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र) प्राविधिक शिक्षा।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/ निजी पालीटेक्निक (द्वारा निदेशक)।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
अनु सचिव।

noc lt

ड्राफ्ट परस्पेक्टिव प्लान के बिन्दु जिनपर आपत्तियाँ एवं सुझाव अपेक्षित हैं:-

1. ऐसे जनपदों जहाँ स्थापित राजकीय पालीटेकनिक संस्थाओं में छात्रों के सेवायोजन का प्रतिशत 25 प्रतिशत से कम है उनमें नई राजकीय पालीटेकनिक संस्थाऐं स्थापित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रदेश के जिन जनपदों में राजकीय पालीटेकनिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के सेवायोजन का प्रतिशत 25 प्रतिशत से अधिक है उन जनपदों में यदि कोई राजकीय पालीटेकनिक संस्था निर्माणाधीन/स्थापनाधीन नहीं है तो ऐसी स्थिति में पूर्व स्थापित/संचालित राजकीय पालीटेकनिक संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।
3. प्रदेश के जिन जनपदों में स्थापित निजी क्षेत्र की पालीटेकनिक संस्थाओं में रिक्त सीटों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से अधिक हैं, ऐसे जनपदों में निजी क्षेत्र में नवीन पालीटेकनिक संस्थान खोलने की अनुज्ञा देने पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्रदेश के जिन जनपदों में स्थापित निजी क्षेत्र की पालीटेकनिक संस्थाओं में रिक्त सीटों का प्रतिशत 10 से कम है अथवा जिन जनपदों में निजी क्षेत्र में एक भी पालीटेकनिक संस्था स्थापित/संचालित नहीं है, ऐसे जनपदों में अधिकतम दो पालीटेकनिक संस्थाऐं निजी क्षेत्र में स्थापित करने की अनुज्ञा गुणावगुण के आधार प्रदान की जा सकेगी।
5. प्रदेश में नवीन राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना करने के स्थान पर पूर्व संचालित संस्थाओं की प्रवेश क्षमता में वृद्धि तथा उनमें में साज-सज्जा, उपकरण, छात्र सुविधाएं तथा शिक्षकों की उपलब्धता ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार पूर्ण करते हुये छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान किये जाने पर बल दिया जायेगा।
6. निजी क्षेत्र में डिग्री स्तरीय नई प्राविधिक संस्था की स्थापना हेतु अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा, क्योंकि वर्तमान में डिग्री स्तरीय प्राविधिक संस्थाओं में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 62 प्रतिशत सीटें रिक्त हैं, तथा
7. भारत सरकार के निर्देशों एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में किसी भी जनपद में डिग्री/ डिप्लोमा स्तरीय नये प्राविधिक संस्थानों/पाठ्यक्रमों की स्थापना की जा सकेगी।

noc lt